



‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना’

दिशा-निर्देश

1. योजना का परिचय :—माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।

2. योजना के उद्देश्यः—

- (i) राज्य में ‘बालिका जन्म’ के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना।
- (ii) बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- (iii) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना।
- (iv) बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
- (v) बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- (vi) बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।

3. योजना के अन्तर्गत देय लाभः—योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा:-

- (i) राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रशंस से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रु. की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी।
- (ii) बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रु. की राशि देय होगी।
- (iii) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रु. की राशि देय होगी।
- (iv) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रु. की राशि देय होगी।

- (v) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रु. की राशि देय होगी।
- (vi) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपी राशि देय होगी।

4. पात्रता:-

- (i) ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।
- (ii) ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भासाशाह कार्डधारी हों। यदि हितप्राप्ती के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार अथवा भासाशाह कार्ड नहीं है, तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भासाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- (iii) योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नहीं होगें।
- (iv) प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। यह लाग दिनांक 31.05.2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात् प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को रच घोषणा प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (v) यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तों का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
- (vi) प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।

(3)

- (vii) द्वितीय किश्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा।
- (viii) प्रथम किश्त से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
- (ix) मुख्यमंत्री राजशी योजना का द्वितीय (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात) एवं तृतीय (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो।
- (x) ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1, 6, 10 तथा 12) शिक्षारत हैं/रही हैं।
- (xi) योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त/किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होंगी।

5. प्रक्रिया:-

- (i) मुख्यमंत्री राजशी योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- (ii) द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
- (iii) प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
- (iv) तीसरी किश्त अर्थात् बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।

(3)

ऑनलाईन प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी को खाते में राशि का ऑनलाईन हस्तांतरण किया जायेगा।

- (v) योजना के अन्तर्गत चौथी, पाचवी तथा छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन ई-ग्रिन्ड/अटल सेवा केन्द्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ विद्यालय में प्रवेश के प्रमाण की प्रति भी अपलोड करनी होगी। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पश्चात् अंकतालिका की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।
- (vi) योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा।
- (vii) योजना की सभीका संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जायेगी।
- (viii) योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं समय समय पर समुचित संशोधन व दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगे।



राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय महिला अधिकारिता
(राज्य महिला सन्दर्भ केन्द्र)
जे-7, झालाना सांस्थानिक हैत्रि, जयपुर



१८

क्रमांक : एफ.27(1)(35)(II) / निम्न / एसआरसीडब्ल्यू / एमआरवाई / 2015-16 / 16211 परिपत्र जयपुर, दिनांक: २५/५/१७

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले परिलाम हेतु भामाशाह कार्ड विवरण को लाभार्थी से प्राप्त कर ऑनलाइन किये जाने के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- बजट घोषणा 160 की अनुपालना में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाम दिनांक 15.05.2017 के बाद भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही दिये जायेगे।
- सभी एनएम, आगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी गर्भवती महिला से एनसी अथवा एमसीएचएन दिवस के लौरान ही भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाते का विवरण प्राप्त कर निकटम राजकीय अस्पताल में उपलब्ध करवाये।
- लाभार्थी महिला द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विवरण को संबंधित एनएम द्वारा आरसीएच रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर प्रसव पूर्व ही इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में शत-प्रतिशत रूप से करवाना सुनिश्चित की जावे।
- प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी द्वारा की जाने वाली होम विजिट्स में महिला से भामाशाह कार्ड विवरण प्राप्त किया जावे।
- रवारथ्य केन्द्रों एवं आगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजित होने वाले टीकाकरण दिवसों (एमसीएचएन दिवस) पर भी ऐसी गर्भवती महिला जिनके द्वारा एवं तक भामाशाह कार्ड नहीं बनवाया गया है, को इस हेतु प्रेरित किया जावे।
- जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटम ई-सित्र केन्द्र से भामाशाह कार्ड बनवाकर निकटम आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा राजकीय अस्पताल में विवरण उपलब्ध करवाये। इस हेतु सभी एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी द्वारा हितग्राही को प्रेरित किया जावे।
- महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड कार्यकर्ताओं/मानदेय कर्मियों के माध्यम से उपरोक्त का सघन प्रचार-प्रसार किया जावे।

शासन सचिव

विकित्सा, स्था. एवं प.क. विभाग
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)

शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : एफ.27(1)(35)(II) / निम्न / एसआरसीडब्ल्यू / एमआरवाई / 2015-16
प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :- 16212-323

जयपुर, दिनांक: २५/५/१७

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन सचिव, विकित्सा, स्था. एवं प.क. विभाग एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।
4. निदेशक, आई.सी.डी.एस., एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, जयपुर।
5. निदेशक, आरसीएच, विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक (मातृस्थास्थ्य), विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
8. समस्त, मुख्य विकित्सा एवं रवारथ्य अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त सहायक निदेशक/कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता।
10. समस्त सीडीपीओ, समेकित बाल विकास सेवाएं।
11. रक्षित पत्रांगती।

अमरा रघु
आयुक्त
महिला अधिकारिता



राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, महिला अधिकारिता
(राज्य महिला संदर्भ केन्द्र)
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक : एफ.27(1)(35)(II) / निमअ / एसआरसीडब्ल्यू / एमआरवाई / 2015-16 / 6069 जयपुर, दिनांक: २६/०२/२०२१
परिपत्र

विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ.27(1)(35)(II) / निमअ / एसआरसीडब्ल्यू / एमआरवाई / 2015-16 / 16211 दिनांक 02.05.2017 के अतिक्रमण में मुख्यमंत्री राजशी योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ हेतु पूर्व में भासाह कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर अब "राजस्थान जन-आधार योजना कार्ड" विवरण को लाभार्थी से प्राप्त कर ऑनलाइन किये जाने के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- आयोजना विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 17 (8)4/डॉइएस/रा.ज.आ.यो./2019 दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में मुख्यमंत्री राजशी योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ अब "राजस्थान जन-आधार कार्ड" के माध्यम से ही दिये जायेंगे।
- सभी एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी गर्भवती महिला से एनसी अथवा एमसीएचएन विवरण के दौरान ही राजस्थान जन-आधार कार्ड एवं राजस्थान जन-आधार कार्ड से जुड़ा हुआ वैक खाते का विवरण प्राप्त कर निकटतम राजकीय अस्पताल में उपलब्ध करवाये।
- लाभार्थी महिला द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विवरण को संबंधित एनएम द्वारा आरसीएच रजिस्टर में इन्प्राइज किया जाकर प्रसव पूर्ण ही इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में शत-प्रतिशत रूप से करवाना सुनिश्चित की जावें।
- प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी द्वारा की जाने वाली होम विजिट्स में महिला से राजस्थान जन-आधार कार्ड विवरण प्राप्त किया जावें।
- स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजित होने वाले टीकाकरण दिवसों (एमसीएचएन दिवस) पर भी ऐसी गर्भवती महिला जिनके द्वारा अब तक राजस्थान जन-आधार कार्ड नहीं बनवाया गया है, को इस हेतु प्रेरित किया जावे।
- जिन लाभार्थी महिलाओं का राजस्थान जन-आधार योजना में नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र से राजस्थान जन-आधार कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा राजकीय अस्पताल में विवरण उपलब्ध करवाये। इस हेतु सभी एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी द्वारा हितग्राही को प्रेरित किया जावे।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के फील्ड कार्यकर्ताओं/मानवेय कर्मियों के माध्यम से उपरोक्त का सघन प्रचार-प्रसार किया जावे।

क्रिरीट्ट शासन सचिव
चिकित्सा, स्वा. एवं प.क. विभाग
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : एफ.27(1)(35)(II) / निमअ / एसआरसीडब्ल्यू / एमआरवाई / 2015-16 / 6070-6216

जयपुर, दिनांक: २६/२/२०२१

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।



राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, महिला अधिकारिता
(राज्य महिला संदर्भ केन्द्र)
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



39

6. निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, जयपुर।
7. निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक (भातृस्वारथ्य), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
10. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग।
12. समस्त उपनिदेशक/सीडीपीओ, समेकित बाल विकास सेवाएं।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
महिला अधिकारिता



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



१०

पत्रांक-एफ 27(1)(35)(ii) / निमअ/ SRCW/MRY/2015-16/16064 जयपुर, दिनांक: २०६.२०२१

संशोधित दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 31.05.2016 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :-

5. "प्रक्रिया" :-

(iv) तीसरी किश्त अर्थात् बालिका के प्रथम कक्षा में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो सन्तान सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकारियों द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा।

(v) अ. योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवीं व छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वाराबालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन राशि का हस्तांतरण किया जावेगा।

ब. आयोजना विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17(18)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./2019 दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 27(1)(35)(ii)/निमअ/ SRCW/MRY/2015-16/6069 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ जनाधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण किये जावेगे।

योजना के दिशा-निर्देशों के शेष प्रावधान पूर्वानुसार यथावत रहेंगे।

१०.६.२१
(श्रेया युहा)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



१८

पत्रांक-एफ 27(1)(35)(ii) / निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
पत्रावली निम्नलिखित जयपुर, दिनांक:- २५.६.२०२१

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री, मंत्रालय।
2. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, भाषा एवं लाइब्रेरी विभाग, पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग।
4. विशिष्टशासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम।
5. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
6. निदेशक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC)
8. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
9. समस्त उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
महिला अधिकारिता।